न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. कैलाश कुमार माली पुत्र श्री चेलाराम, जाति- माली, निवासी- सुखदान कॉलोनी, बायसा मन्दिर के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्मः-भाग्य लक्ष्मी ट्रेडर्स, सुखदान कॉलोनी, बायासा मुदिर के पास,पिण्डवाडा,जिला-सिरोही

2. कृष्णा डेयरी, प्लॉटर नम्बर 272/6, Vahelal Road, Zak Gam, Tehsil-Dahegam, Dist. Gandhinagar (guj.)

प्रकरण संख्याः 33/2017

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेड़तिया, प्रतिवादी कैलाश कुमार माली की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 25 मार्च, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी कैलाश कुमार माली के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 25.10.2016 को 7.00 ए.एम. पर बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर मैसर्स भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स, सुखदान कॉलोनी, बायासा मंदिर के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से कैलाश कुमार पुत्र श्री चेलाराम, जाति- माली, निवासी- सुखदान कॉलोनी, बायासा मंदिन के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता कैलाश कुमार माली को गवाहान के समक्ष भरकर दी व रसीद प्राप्त की, जिस विक्रेता, गवाह व मेरे हस्ताक्षर किये हुये है। दुकान में में बडे फ्रिज में बिक्री हेतु रखे हुए मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के 12 पैक्ड पैकेट डिब्बे (प्रत्येक 3 किलोग्राम) में [illegible] हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के 3 किलोग्राम के एक पैक्ड पैकेट [illegible] उसमें से 2 किलोग्राम मिल्क हलवा (कृष्णा [illegible] स्टील के भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा क[illegible]

....पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज०)

बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) को पुनः एकरुप कर 4 साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की चौडे मुंह की शीशीयों में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-704, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना शीशीयों को अलग अलग भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-704 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता कैलाश कुमार माली व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.10.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधुपर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 25.10.2016 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1321/एक्ट/2016/1379 दिनांक 24.11.2016 प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता कैलाश कुमार माली से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना S-704 मिथ्याछाप एवं अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादी कैलाश कुमार माली [illegible] मिथ्याछाप व अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ [illegible] उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 3(ii) का उल्लंघन [illegible] जो धारा 51 व 52 के तहत

....पेज तीन पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:03 IST
Reason: SelfAttested

जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी कैलाश कुमार माली के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी कैलाश कुमार माली ने मिथ्याछाप व अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है। अतः प्रतिवादी कैलाश कुमार माली पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी कैलाश कुमार माली को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी कैलाश कुमार माली की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कैलाश कुमार माली द्वारा प्रस्तुत जवाब पर प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिनांक 06.8.2018 को सुना गया। जिन्होंने यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.10.2016 को प्रतिवादी कैलाश कुमार माली से खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के 3 किलोग्राम के पैक्ड पैकेट को खोलकर उसमें से 2 किलोग्राम मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना वास्ते जांच लिया था। प्रतिवादी कैलाश कुमार माली की फर्म भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स ने उस खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेटों को निर्माता फर्म Krishna Dairy, Plot No.272/6, Vahelal Road, Zak Gam, Tehsil- Dahegam, Dist. Gandhinagar (guj.) से बिल इनवोइस संख्या 939 दिनांक 20.10.2016 के द्वारा क्रय किये थे जिसका बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त कृष्णा डेयरी को प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना ही प्रतिवादी कैलाश कुमार माली के विरुद्ध यह आवेदन प्रस्तुत किया है, इसलिये प्रतिवादी कैलाश कुमार माली को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 व 80 के तहत दोषमुक्त किया।

प्रकरण में प्रतिवादी कैलाश कुमार माली के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व पत्रावली पर बिल की छायाप्रति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में Krishna Dairy, Plot No.272/6, Vahelal Road, Zak Gam, Tehsil- Dahegam, Dist. Gandhinagar (guj.) में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत पक्षकार बनाया जाकर नोटिस जारी किये जाकर पंजीकृत डाक से प्रेषित किये गये। प्रकरण में Krishna Dairy, Plot No.272/6, Vahelal Road, Zak Gam, Tehsil- Dahegam, Dist. Gandhinagar (guj.) को जारी नोटिस की कई बार पंजीकृत डाक से प्रेषित किये गये है, लेकिन कृष्णा डेयरी नाम की फर्म उक्त पते पर नही होने से पंजीकृत डाके पुनः इस न्यायालय को अदम तामिल प्राप्त हुई। जिस पर प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कृष्णा डेयरी का सही पता प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया। जिस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस कार्यालय को प्रतिउत्तर प्रेषित [illegible] द्वारा पेश इनवोईस कम्प्यूटराईज बिल था। मेरे द्वारा उक्त पते पर [illegible] गई थी, जवाब नही आने के कारण मेरे द्वारा पत्रावली [illegible] की गई जिस पर अभियोजन स्वीकृति जारी की [illegible] नाम सम्मिलित नही है। खाद्य

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्व बताये गये है व धारा 27 में विनिर्माताओं, पैकरों, थोक विक्रेताओं और वितरकों के दायित्व दिये हुये है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रतिउत्तर पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित आदेशिका दिनांक 19.2.2020 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27(3)(घ) के तहत विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिये उत्तरदायी होगा, जो उस विनिर्माता या वितरक की पहचान बताने वाला नही है जिससे ऐसा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया हो। अतः प्रकरण में प्रतिवादी कैलाश कुमार माली को आदेशित किया गया कि उसकी फर्म भाग्य लक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा जिस कृष्णा डेयरी से खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) क्रय किया है उसका पंजीकृत पता मय दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। अन्यथा धारा 27()3(घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विक्रेता (प्रतिवादी कैलाश कुमार माली) को उत्तरदायी मानकर प्रकरण का विधि सम्मत निर्णय कर दिया जायेगा।

इस न्यायालय के उक्त आदेशिका दिनांक 19.2.2020 के अनुसरण में प्रतिवादी कैलाश कुमार माली के अधिवक्ता ने दिनांक 11.11.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में कृष्णा डेयरी का पता प्लॉट नं. 40, फेज-प्रथम, मदर वे ब्रीज के सामने, जयहिन्द मेटल, चार रास्ता के पास, नरोडा, जी.आई.डी.सी. अहमदाबाद-382330 अंकित किया, लेकिन प्रार्थना पत्र के साथ कोई पंजीकृत दस्तावेज यथा कृष्णा डेयरी की खाद्य पदार्थ अनुज्ञप्ति एवं कृष्णा डेयरी के पंजीकृत पते से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में प्रतिवादी कैलाश कुमार माली द्वारा कृष्णा डेयरी के प्रस्तुत उक्त अहमदाबाद के पते पर नोटिस जारी किया गया, लेकिन पंजीकृत डाक तामिल होने के बावजूद भी फर्म कृष्णा डेयरी से कोई उपस्थित नही हुआ।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी कैलाश कुमार माली के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होंने प्रतिवादी कैलाश कुमार माली की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कैलाश कुमार माली को इस प्रकरण में दोषमुक्त करने व खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) की निर्माता फर्म कृष्णा डेयरी पर जुर्माना किये जाने का अनुरोध किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि दिनांक 25.10.2016 को 6.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जो जोधपुर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स, सुखदान कॉलोनी, बायासा मंदिर के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स, सुखदान कॉलोनी, बायासा मन्दिर के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से कैलाश कुमार माली पुत्र श्री [illegible] माली, निवासी- सुखदान कॉलोनी, बायासा मदिर के पास, पिण्डवाडा, [illegible]ोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ मिल[illegible] विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म भाग्यलक्ष्मी [illegible] कॉलोनी, बायासा मंदिर के

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

पास, पिण्डवाडा के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री छगन लाल पुत्र रावाराम जी माली, बायासा मंदिर के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही एवं श्री किशोरी लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता कैलाश कुमार माली को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता कैलाश कुमार माली, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान में बडे फ्रिज में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के 12 पैक्ड पैकेट डिब्बे (प्रत्येक 3 किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के 3 किलोग्राम के एक पैक्ड पैकेट डिब्बे को खोलकर मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) को हिलामिलाकर एकरुप कर उसमें से 2 किलोग्राम मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) को एक साफ, सूखी, खाली स्टील के भिगौनें में नमूना जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/- (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) विक्रेता कैलाश कुमार माली को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ, सूखी, खाली शीशीयां दिखाकर खरीद शुदा मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) को हिलामिलाकर एकरुप किया एवं चारों शीशीयों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-704, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता कैलाश कुमार माली व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-704 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता कैलाश कुमार माली, उक्त गवाहों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ खरीद बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि [illegible] में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स, [illegible] के पास, पिण्डवाडा,

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:03 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001

जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कैलाश कुमार माली से खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.10.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 25.10.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड)के नमूना संख्या S-704 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1321/Act/2016/1379 दिनांक 24.11.2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स, सुखदान कॉलोनी, बायासा मन्दिर के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता कैलाश कुमार माली से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना S-704 मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांकःएफएसएसए/2016/342-44 दिनांक 19.1.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी कैलाश कुमार माली को प्रेषित कर 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्ररुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया था, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कैलाश कुमार माली द्वारा प्रस्तुत जवाब पर प्रतिवादी कैलाश कुमार माली के अधिवक्ता को दिनांक 06.8.2018 को सुना जाकर प्रतिवादी कैलाश कुमार माली द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) की खरीद [illegible] में Krishna Dairy, Plot No.272/6, Vahelal Road, Zak Gam, Tehsil- Dahegam, Dist. Gandhinagar (guj.) के [illegible] 20.10.2016 की प्रस्तुत छाया प्रति को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में Krishna Dairy, Plot No.272/6, Vahelal Road, Zak Gam, Tehsil- Dahegam, Dist. Gandhinagar (guj.)

.....पेज सात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:03 IST
Reason: SelfAttested

वरि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत पक्षकर बनाया जाकर नोटिस जारी करके पंजीकृत डाक से प्रेषित किये थे, लेकिन कृष्णा डेयरी नाम की फर्म उक्त पते पर नही होने से पंजीकृत डाके पुनः इस न्यायालय को अदम तामिल प्राप्त हुई। जिस पर प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कृष्णा डेयरी का सही पता प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया। जिस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस कार्यालय को प्रतिउत्तर प्रेषित कर अनुरोध किया कि कैलाश माली द्वारा पेश इनवोईस कम्प्यूटराईज बिल था। मेरे द्वारा उक्त पते पर सूचना भेजी गई थी, जवाब नही आने के कारण मेरे द्वारा पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कर की गई जिस पर अभियोजन स्वीकृति जारी की गई जिसमें निर्माता का नाम सम्मिलित नही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्व बताये गये है व धारा 27 में विनिर्माताओं, पैकरों, थोक विक्रेताओं और वितरकों के दायित्व दिये हुये है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रतिउत्तर पर इस न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 19.2.2020 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27(3)(घ) के तहत विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिये उत्तरदायी होगा, जो उस विनिर्माता या वितरक की पहचान बताने वाला नही है जिससे ऐसा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया हो। इस हेतु प्रतिवादी कैलाश कुमार माली को आदेशित किया गया कि उसकी फर्म भाग्य लक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा जिस कृष्णा डेयरी से खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) क्रय किया है उसका पंजीकृत पता मय दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। अन्यथा धारा 27()3(घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विक्रेता (प्रतिवादी कैलाश कुमार माली) को उत्तरदायी मानकर प्रकरण का विधि सम्मत निर्णय कर दिया जायेगा।

इस न्यायालय के उक्त आदेशिका दिनांक 19.2.2020 के अनुसरण में प्रतिवादी कैलाश कुमार माली के अधिवक्ता ने दिनांक 11.11.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर "प्रार्थना पत्र में कृष्णा डेयरी का पता प्लॉट नं. 40, फेज-प्रथम, मदर वे ब्रीज के सामने, जयहिन्द मेटल, चार रास्ता के पास, नरोडा, जी.आई.डी.सी. अहमदाबाद-382330 अंकित किया, लेकिन प्रार्थना पत्र के साथ कोई पंजीकृत दस्तावेज यथा कृष्णा डेयरी के खाद्य पदार्थ अनुज्ञप्ति एवं कृष्णा डेयरी के पंजीकृत पते से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में प्रतिवादी कैलाश कुमार माली द्वारा कृष्णा डेयरी के प्रस्तुत उक्त अहमदाबाद के पते पर नोटिस जारी किया गया, लेकिन पंजीकृत डाक तामिल होने के बावजूद भी फर्म कृष्णा डेयरी से कोई उपस्थित नही हुआ।

चूंकि प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कैलाश कुमार माली द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) की खरीद के संबंध में Krishna Dairy, Plot No.272/6, Vahelal Road, Zak Gam, Tehsil-Dahegam, Dist. Gandhinagar (guj[illegible] बिल प्रस्तुत किया था वह कम्प्यूटराईज्ड होने व कृष्णा [illegible] पते पर पर इस न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिसों [illegible] की फर्म इस पते पर नही होने से इस न्यायालय को पुनः अदम तामिल प्राप्त हुई। प्रतिवादी कैलाश कुमार

.....पेज आठ पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

माली द्वारा इस न्यायालय में कृष्णा डेयरी का अहमदाबाद का जो पता प्रस्तुत किया है उसके साथ कृष्णा डेयरी के खाद्य पदार्थ विक्रय की अनुज्ञप्ति एवं कृष्णा डेयरी के पंजीकृत पते से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। इस कारण से इस तथ्य की पुष्टि नही होती है कि प्रतिवादी कैलाश कुमार माली द्वारा जिस फर्म Krishna Dairy, Plot No.272/6, Vahelal Road, Zak Gam, Tehsil- Dahegam, Dist. Gandhinagar (guj.) से खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) क्रय किया है वो ही फर्म अहदाबार शिफट की गई हो। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्व बताये गये है व धारा 27 में विनिर्माताओं, पैकरों, थोक विक्रेताओं और वितरकों के दायित्व दिये हुये है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27(3)(घ) के तहत विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिये उत्तरदायी होगा, जो उस विनिर्माता या वितरक की पहचान बताने वाला नही है जिससे ऐसा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया हो। ऐसी स्थिति में, धारा 27()3(घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विक्रेता (प्रतिवादी कैलाश कुमार माली) ही मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 व 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी कैलाश कुमार माली पुत्र श्री चेलाराम, जाति- माली, निवासी- सुखदान कॉलोनी, बायासा मन्दिर के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स, सुखदान कॉलोनी, बायासा मन्दिर के पास, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी कैलाश कुमार माली को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:03 IST
Reason: SelfAttested